



गणपति फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड

दंडात्मक शुल्क नीति

सूचकांक क्रमांक	विशिष्ट	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	2
2.	मुख्य उद्देश्य	2
3.	दंडात्मक शुल्क मॉडल	2
4.	सिद्धांत	2
5.	संचार	3
6.	नीति समीक्षा	3

संस्करण नियंत्रण संस्करण	दत्तक ग्रहण/ बोर्ड द्वारा संशोधन तिथि	तैयार / बदला गया	अंतिम समीक्षा तिथि
1.0	01 अप्रैल, 2025	कानूनी और अनुपालन	ना

## परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक ("RBI") के फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस पर सर्कुलर - लोन अकाउंट्स में पेनल्टी चार्ज, तारीख 18 अगस्त, 2023 ("पेनल चार्ज सर्कुलर") और मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिज़र्व बैंक (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी - स्केल बेस्ड रेगुलेशन) डायरेक्शन, 2023, तारीख 19 अक्टूबर, 2023 ("SBR-MD") के अनुसार, गणपति फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड ("GFPL / कंपनी") को लोन पर पेनल्टी चार्ज या इसी तरह के चार्ज पर बोर्ड से मंजूर पॉलिसी बनानी होगी।

GFPL अपने कस्टमर्स/बॉरोअर्स को सिक्वोर्ड लोन देता है। अगर कस्टमर/बॉरोअर डिफॉल्ट करते हैं/नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो GFPL अपने कस्टमर्स/बॉरोअर्स में क्रेडिट डिसिप्लिन की भावना लाने के लिए पेनल्टी चार्ज लगा सकता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ("बोर्ड") ने पेनल्टी चार्ज पर यह पॉलिसी बनाई और मंजूर की है। ("पेनल चार्ज पॉलिसी")।

पीनल चार्ज पॉलिसी को कंपनी के फेयर प्रैक्टिस कोड के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

## मुख्य उद्देश्य

- पेनल्टी चार्ज लगाने का एक तरीका बनाना।
- पेनल्टी चार्ज के कम्युनिकेशन के लिए एक मैकेनिज्म बनाना।

## दंडात्मक शुल्क मॉडल

कस्टमर/बॉरोअर पर पेनल्टी इंटररेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन नीचे दिए गए पेनल्टी चार्ज लग सकते हैं:

1. पेमेंट में देरी होने पर चार्ज/ पेनल्टी चार्ज/ बाउंस चार्ज - पेमेंट फेल होने पर INR 500 प्लस GST चार्ज लगेगा। EMI समय पर चुकाना।
2. इसके अलावा, लेट पेमेंट फीस नीचे दिए गए स्लैब के आधार पर रोज़ाना लगेगी, जब तक कि कस्टमर/बॉरोअर बकाया प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं कर देता। ऐसा क्रेडिट डिसिप्लिन बनाने के मकसद से किया जाता है, जहाँ पेमेंट मिस करने वाला व्यक्ति बकाया जल्दी चुका देता है और इस तरह कुल पेनल्टी चार्ज कम हो जाते हैं। पेनल्टी चार्ज GST के तहत होंगे।

देय तिथियां	विलंबित भुगतान शुल्क/गैर-भुगतान शुल्क
1-30	24% प्रति वर्ष
31-90	30% प्रति वर्ष
> 90	36% प्रति वर्ष

1. जीएफपीएल अवैतनिक ब्याज पर (ईएमआई के अवैतनिक ब्याज घटक सहित) ब्याज ले सकता है कॉन्ट्रैक्टेड इंटररेस्ट रेट, सुधार की तारीख तक।

## सिद्धांत

1. अगर कस्टमर लोन कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरी शर्तों का पालन नहीं करता है, तो जुर्माना लगेगा। कर्जदार से लिए गए पैसे को 'पेनल चार्ज' माना जाएगा और यह 'पेनल इंटररेस्ट' के रूप में नहीं लिया जाएगा, जो एडवांस पर लिए जाने वाले इंटररेस्ट रेट में जोड़ा जाता है।
2. पेनल्टी चार्ज की रकम सही होगी और लोन कॉन्ट्रैक्ट के ज़रूरी नियमों और शर्तों का पालन न करने पर वैसी ही होगी, और किसी खास लोन/प्रोडक्ट कैटेगरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा।

3. पेनल्टी चार्ज का कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, यानी ऐसे चार्ज पर कोई और ब्याज कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ब्याज दर में कोई अतिरिक्त हिस्सा नहीं जोड़ा जाएगा।
4. ऊपर दिए गए बदलाव सभी नए कस्टमर्स के साथ-साथ मौजूदा कस्टमर्स पर भी लागू होंगे।

संचार

1. पेनल्टी चार्ज की रकम और कारण कंपनी कस्टमर्स को लोन एग्रीमेंट और की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) में पहले ही साफ-साफ बता देगी और इसे कंपनी की वेबसाइट पर इंटररेस्ट रेट और सर्विस चार्ज के नीचे दिखाया जाएगा।
2. जब पेनल्टी चार्ज लगाए जाएंगे, तो कस्टमर्स को कारण के साथ बताया जाएगा।
3. जब भी ग्राहक को लोन की ज़रूरी शर्तों का पालन न करने के लिए रिमाइंडर भेजा जाता है/ कर्ज लेने वाले को, लागू पेनल्टी चार्ज के बारे में बताया जाएगा।

नीति समीक्षा

इस पीनल चार्ज पॉलिसी को बोर्ड की मंजूरी से समय-समय पर रिव्यू और अपडेट किया जाएगा।